न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर नागौर
इमरान खान V/s राज्य सरकार
फौज० प्रार्थना पत्र सं. 60/2021 U/s 457 CrPC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2/12/21	प्रार्थी की ओर से वकील मो0 शाहिद उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री सुरेश कुमार रोयल उपस्थित।	

वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत धारा 457 सी.आर.पी.सी. पर वकुलाय की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–21 जीसी–4009 का रजिस्टर्ड मालिक विक्रमसिंह है, प्रार्थी इमरान उसका आम मुख्त्यार है अन्य कोई मालिक दावेदार नहीं है। उक्त वाहन मय असल दस्तावेजात के एफ.आई.आर.नं. 125/2021 थाना डीडवाना प्रकरण में पुलिस थाना डीडवाना द्वारा अपनी तहवील में ले रखा है। पूर्व में माननीय न्यायालय ने प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया, अब अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, इस कारण बदली हुई परिस्थितियों में पुनः यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पुलिस को प्रकरण हाजा में वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन प्रार्थी की जीविकोपार्जन का साधन होने से प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में रख रखाव के अभाव में पड़ी पड़ी खराब होने की पूरी संभावना है। दौराने मुकदमा प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित हर शर्त व आदेश की पालना करेगा, तलब करने पर लाकर पेश कर देगा, खुर्द बुर्द गिरवी बेचान आदि नहीं करेगा, का कथन करते हुए प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–21 जीसी–4009 मय असल दस्तावेज प्रार्थी को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–14 जीजे–7178 की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत केस डायरी का अवलोकन किया। प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/21 में जब्त कर रखा है। प्रकरण के संबंध में पुलिस द्वारा प्रस्तुत **तथ्यात्मक रिपोर्ट कमांक–4666 दिनांक 24.11.2021** के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा आरजे–21 जीसी–4009 गाड़ी की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है, वाहन सुपुर्द किया जाये तो कोई आपति नहीं है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रार्थी को उक्त वाहन व वाहन से संबंधित मूल दस्तावेज सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं.प्र.सं. एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में **21,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये इक्कीस लाख मात्र)** का सुपुर्दगीनामा व **इसी कदर की राशि का जमानतनामा,** नीचे अंकित शर्तो अनुसार, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दिये जाने पर, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना डीडवाना को **पुलिस थाना डीडवाना के प्रकरण संख्या 125/2021 में** जब्तशुदा वाहन टाटा एलपीटी ट्रक नम्बर आरजे–21 जीसी–4009 एवं वाहन से संबंधित मूल दस्तावेजात इमरान खान पुत्र जफरूदीन जाति मुसलमान पठान निवासी शेरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर बहैसियत आम मुख्त्यार श्री विक्रमसिसंह पुत्र प्रहलादसिंह जाति राजपूत निवासी ... तहसील बिदासर जिला चूरू, राज0 को उक्त जब्तशुदा ... वाहन से संबंधित असल दस्तावेज अन्य किसी प्रकरण ... हो तो नियमानुसार सुपुर्द करने बाबत तहरीर जारी की जावे:–

1. कि प्रार्थी उक्त वाहन का वर्तमान ... प्रस्तुत करेगा।
2. कि प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात इसके रंग–रोगन व ढ़ाचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त वाहन को किसी को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित, रहन एवं बैचान आदि नहीं करेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 15:59:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर,नागौर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	इमरान खान V/s राज० सरकार फौजदारी प्रार्थनापत्र नं. 60/2021 U/s-457 CrPC हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2/12/21 (लगातार)	4. कि जब भी न्यायालय तलब करे, प्रार्थी अपने स्वंय के खर्चे से, उक्त वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद तस्दीक, तथा थानाधिकारी डीडवाना द्वारा उक्त वाहन व असल दस्तावेज प्रार्थी को सुपुर्द करने पर सपुर्दगी की रसीद प्राप्त कर इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पुलिस थाना डीडवाना की मूल केश डायरी संबंधित को लौटाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार हो व नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर कलक्टर, नागौर	

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 15:59:42 IST
Reason: SelfAttested